संख्या– 447/सात–न्याय–2–2012–83जी/2011

प्रेषक,
सै0 मो0 हसीब,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,
महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग–2(अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2012

विषय:–जनरल रूल्स (सिविल), 1957के खण्ड–1 के अध्याय XXVII के नियम 615 में संशोधन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर संयुक्त निबन्धक, (निरीक्षण) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1074/2012/जे0आर0 (1) दिनांक 19–1–2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– अधीनस्थ न्यायालयों के रीडर्स/पेशकार/सहायक/स्टेनोग्राफर्स को प्रस्तावित वर्दी से सम्बन्धिम अधिसूचना संख्या–1475/सात–न्याय–2–2011–83जी/2011, दिनांक 16 अप्रैल,2012 संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है ।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

सै0मो0 हसीब
विशेष सचिव ।

संख्या– 447(1)/सात–न्याय–2–12, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुदण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी की प्रतिलिपि सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड(ख) के संस्करण में दिनांक 16 अप्रैल, 2012 की तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 30 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करे।

आज्ञा से,

सै0 मो0 हसीब
विशेष सचिव

–2–

आदेश

अवलोकित, समस्त न्यायालयों को
... कार्यवाही हेतु सूचित किया जाय।
...नुसार ... सामान्य व्यवहार
... (सिविल) में संशोधन ...
...

जिला न्यायाधीश

37
2

UTTAR PRADESH SHASAN
NYAYA ANUBHAG-2 (ADHINASTH NYAYALAYA)
NOTIFICATION
No.1475/VII-Nyaya-2-2011-83G/2011
Lucknow: Dated: April 16, 2011

The General Rules (Civil), 1957 Vol.I (Correction Slip No.119) framed by the High Court of Judicature at Allahabad in exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India and section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 are hereby published for the general information:-

(Here print the Annexure)

By Order,

Zaki Ullah Khan
Principal Secretary.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
AMENDMENT (Admin.'G-1') SECTION
NOTIFICATION

No. 01 /VIIIb-266 Dated: May 07-1-2011

In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India and Section 122 of the Civil Procedure Code, 1908 read with Section 21 of General Clauses Act, 1897, the High Court of Judicature at Allahabad with the previous approval of the Government of Uttar Pradesh, is pleased to make the following amendment in General Rules (Civil), 1957 Vol. I with effect from the date of their publication in the Official Gazette of Uttar Pradesh.

Amendment in rule 615 – Rule 615 of the rules shall be amended as follows:-

(1) The existing provisions of rule 615 of the rules shall be numbered as sub-rule (1).

(2) After the existing rule 615, numbered as sub-rule (1), following sub-rule (2) shall be added:-

"(2) The Readers/Peshkars, Executive Assistants/Stenographers and employees of Class IV cadre in the Courts Subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad, shall wear Uniform/Costumes as indicated below:

(i) Readers/Peshkars and Executive Assistants/Stenographers shall wear black Coat with black neck Tie or a buttoned up black Coat, Sherwani or Achkan with shirt and trouser or Paijama of sober colour. The ladies can wear traditional white Sari and Blouse or Shalwar suit etc. in place of Shirt/trousers alongwith Coat.

(ii) All the class IV employees in the courts shall wear white buttoned up Coat, Sherwani or Achkan with white trouser or Paijama in summer and woolen buttoned up Coat of navy blue colour in winter. The Ladies can wear traditional white Sari with Blouse or Shalwar suits alongwith Coat.

Provided that the Orderlies attached with the Presiding Officers of the Courts shall in addition wear Cap or Turban alongwith Belt with Monogram of the Judgeship.

Provided further that the drivers shall wear white Coat in Summer and Woolen Navy blue colour Coat in Winter with Badge/Monogram of the Judgeship and a Felt Cap."

By Order of the Court,

Registrar General

Annexure – 10

संख्या–2275/सात–न्याय–2–09–228जी/09

प्रेषक,

श्री एस०एम०ए० आब्दी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग–2(अधीनस्थ न्यायालय)   लखनऊ दिनांक 22 जुलाई,2009

विषय:– रिट पिटीशन (सी) संख्या–1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2008 सपठित आदेश दिनांक 15–7–2008 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० उच्च न्यायालय के पत्र सं0–12959–5–ई–80/एडमिन (डी), दिनांक 14–10–2008 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–2071/सात–न्याय–2–08–132जी/08, दिनांक 29–9–2008, संख्या–3565 व 3566/सात–न्याय–2–08–132जी/08, दिनांक 17–10–2008 तथा संख्या–3306/सात–न्याय–2–08–227जी/08, दिनांक 18–10–2008 तथा 987/सात–न्याय–2–09–228जी/09, दिनांक 11–5–2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट पिटीशन (सी)संख्या–1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2008 सपठित आदेश दिनांक 15–7–2008 के अनुपालन में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी विभिन्न संस्तुतियों के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय अधीनस्थ न्यायालयों के बेन्च क्लर्क (पेशकार) एवम् स्टेनोग्राफर को मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी वर्दी को 03 वर्ष में एक बार उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–42 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन न्यायालय–03––जिला तथा सेशन न्यायाधीश" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा

4– ये आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 के अशासकीय संख्या–सा–1–480/दस–09, दिनांक 14–7–2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

एस०एम०ए० आब्दी
प्रमुख सचिव ।